तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे. के. पंत, अभिभाषक निगरानीकर्ता
श्री विजेन्द्र सिंह चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

निर्णय **दिनांक : 01.02.2019**

1. यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 3–9–2002 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता को ग्राम मलवास की भूमि खसरा नंबर 424 में से आवंटन किया जाकर दिनांक 22–6–92 को उसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां एक अपील पेश की गई थी, जो खारिज हो गई थी। तत्पश्चात् एक निगरानी भी राजस्व मण्डल में पेश हुई थी, जो दिनांक 22–6–1993 को खारिज की जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा गया था। नायब तहसीलदार, लवाण ने अपने आदेश दिनांक 27–7–2000 के द्वारा निगरानीकर्ता को खातेदारी अधिकार दिये थे। उसके विरूद्ध एक अपील जिला कलक्टर, दौसा के यहां पेश की गई, जिसे दिनांक 15–10–2001 को स्वीकार किया गया। जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां अपील पेश की। किन्तु बाद सुनवाई वह अपील दिनांक 3–9–02 को खारिज कर दी गई। अतः आवंटी निगरानीकर्ता ने यह निगरानी पेश की है।

3. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की दलील है कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नायब तहसीलदार को ही है और उस अधिकार के तहत ही निगरानीकर्ता को खातेदारी दी गई थी। जब एक बार प्रार्थी का आवंटन राजस्व मण्डल तक बहाल रखा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया है, उस सूरत में नामान्तरकरण की आड में निगरानीकर्ता की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जिला कलक्टर, दौसा के यहां अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा यह आवंटन विधिवत रूप से किया गया था। अपील न्यायालय ने इस तथ्य की तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि यदि कोई पक्षकार नामान्तरकरण को विवादास्पद मानता है तो उसकी प्रथम अपील संभागीय आयुक्त या उपखण्ड अधिकारी के यहां होती है। इसलिए जिला कलक्टर अपील सुनने में सक्षम नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 अजनबी व्यक्ति है, जिसे नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। उसने धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की कोई अनुमति भी नहीं मांगी थी और वह नामान्तरकरण में किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार भी नहीं था। राज्य सरकार ने दौसा जिले के लवाण तहसील क्षेत्र हेतु अध्यादेश जारी करके गैर खातेदारी से खातेदारी देने का अधिकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को प्रदत्त किया हुआ है। इस तथ्य की तरफ भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया। अतः निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, दौसा का आदेश दिनांक 15–10–2001 एवं संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 3–9–2002 निरस्त किये जाकर नायब तहसीलदार, लवाण का आदेश दिनांक 27–6–2000 बहाल रखा जावे। 4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनकी दलील है कि जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 15–10–2001 व संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 3–9–2002 विधिवत हैं। अतः निगरानी खारिज की जाए। 5. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6. निगरानीकर्ता कैलाश को भूमि आवंटन करने का आदेश राजस्व मण्डल तक बहाल रखा गया था। तत्पश्चात् तहसीलदार ने उसे इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये हैं। इस आदेश से पीडित होकर रामकिशोर आदि 16 व्यक्तियों ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष पेश की थी, वह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, लवाण का आदेश दिनांक 27–6–2000 निरस्त किया गया था एवं उसे निर्देश दिये गये थे कि प्रकरण में पुनः पक्षकारान को सुनकर विधिनुसार आदेश पारित किया जाए। प्रकरण रिमाण्ड करने का मुख्य आधार यह था कि भूमि आवंटन नियमों के नियम 18 (1) के अनुसार तहसीलदार को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं बल्कि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही पारित किया जा सकता है। इसके अलावा उक्त नियमों के नियम 18 (3) के अनुसार कब्जे बाबत मौका की कोई जांच भी नहीं की गई थी। यह दोनों इस प्रकार के विधिक बिन्दु थे, जिनको मद्धेनजर रखते हुए ही उप तहसीलदार, लवाण को प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता कैलाश की तरह अन्य 19 व्यक्तियों के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के आदेश उप तहसीलदार ने ही जारी किये थे। इन सभी 20 व्यक्तियों ने एक संयुक्त अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष पेश की थी, वह अपील निगराधीन आदेश दिनांक 3–9–02 के द्वारा खारिज कर दी गई थी। द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपील इसी आधार पर खारिज की थी कि उप तहसीलदार को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने की अधिकारिता नहीं है बल्कि उपखण्ड अधिकारी ही इस संबंध में आदेश पारित करने में सक्षम हैं। मेरी विनम्र राय में निगरानीकर्ता को उस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत करने की बजाय उप तहसीलदार, लवाण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष कथन रखना चाहिए था ताकि उप तहसीलदार, लवाण नियमों की पालना में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विधिवत कार्यवाही करके गैर खातेदारी को खातेदारी में परिवर्तित करने की कार्यवाही करता। किन्तु निगरानीकर्ता ने अनावश्यक रूप से यह निगरानी पेश की है। लवाण तहसील हेतु	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार ने पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी की हो, ऐसा प्रमाण निगरानीकर्ता की ओर से पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष 16 व्यक्तियों ने अपील प्रस्तुत की थी किन्तु निगरानीकर्ता ने केवल बंशी पुत्र कल्लाराम को रेस्पोडेन्ट बनाते हुए यह निगरानी पेश की है, अन्य 15 पीडित व्यक्तियों को इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया, इस आधार पर भी यह निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानीधीन आदेश से निगरानीकर्ता के किसी अधिकार का हनन नहीं हुआ है बल्कि विधि सम्मत प्रक्रिया से ही गैर खातेदारी को खातेदारी में परिवर्तित किया जा सकेगा, इस ओर अग्रसर होने के लिए ही निगरानीधीन आदेश पारित किये गये थे ताकि भविष्य में भी कोई पेचीदगियां उत्पन्न नहीं हों। ऐसी स्थिति में इस निगरानी में कोई बल नहीं है। 7. लिहाजा यह निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। संबंधित तहसीलदार को जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 15–10–2001 की पालना में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	